ए.

आर. कृष्ण मूर्ति

बनाम

आर. आर. जगदेशान

21 जुलाई, 2022

बी.

(2022 की सिविल अपील संख्या 4832)

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-कानूनी प्रतिनिधि-प्रतिस्थापन-अपीलार्थी अपनी माँ का वकील धारक था जिसने एक मुकदमा दायर किया था-मुकदमा दायरकर्ता द्वारा पावर एजेंट के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था-अपीलार्थी की माँ (वादी) की अवधि समाप्त हो गई-अपीलार्थी ने मुकदमे में एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिस्थापन की मांग की-उक्त आवेदन को निचली अदालत द्वारा इस बात पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया गया था कि मृतक के अन्य कानूनी उत्तराधिकारी थे और उन्हें शामिल किए बिना, अपीलार्थी आगे बढ़ने का हकदार नहीं था-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गया:अपीलार्थी स्वीकार्य रूप से मृतक वादी का पुत्र है, इस प्रकार उसकी पात्रता, चाहे वसीयती उत्तराधिकार के रूप में हो या गैर-वसीयती उत्तराधिकार के रूप में, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है-यदि कोई जांच करने की आवश्यकता थी, तो इसे यू/या XXII के तहत किया जा सकता था।आर. 5 विचारण न्यायालय द्वारा सी. पी. सी. का, लेकिन अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता था-विवादित आदेशों को अपास्त करना दिया गया और विचारण न्यायालय द्वारा पुनर्विचार के लिए आवेदन को बहाल कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 4832।

2021 के सी. आर. पी. (पी. डी.) संख्या 1158 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 26.05.2021 से।

जी.

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

जी. बालाजी, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

एच.

490 ए.

491

आर. कृष्ण मूर्ति बनाम आर. आर. जगदेशान ए.

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. हमने अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हुए और विद्वान अधिवक्ता को एकमात्र प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होते हुए सुना है।

बी.

3. अनावश्यक विवरणों के अभाव में, वर्तमान मामले के प्रासंगिक पहलू यह हैं कि इसमें अपीलार्थी अपनी माँ का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक था, जिसने घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए और वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी के खिलाफ कब्जे की घोषणा और वसूली के लिए विषय मुकदमा दायर किया था।अपीलार्थी द्वारा वादी के शक्ति अभिकर्ता के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था।उक्त वादी, अपीलार्थी की माँ, 10.01.2020 पर समाप्त हो गई।इसके बाद, अपीलार्थी ने एक आवेदन दायर किया, जो 2020 का आई. ए. नंबर 1 था, जिसमें मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में उसके प्रतिस्थापन की मांग की गई थी, इस दावे के साथ कि वादी, उसकी माँ ने अपनी सभी संपत्ति के संबंध में उसके पक्ष में एक वसीयत का निष्पादन किया था और उक्त वसीयत उप-पंजीयक कार्यालय, पेरम्बलुर में पंजीकृत थी।

सी.

डी.

4. इस आवेदन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, पेरम्बलुर द्वारा दिनांक 1 के आदेश में विचार विद्वान गया था, जिसमें प्रतिवादी-प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियों को ध्यान में रखा गया था कि अपीलार्थी मृतक वादी का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था; और यह कि मृतक का एक और बेटा और एक बेटी थी और उन्हें आरोपित किए बिना, अपीलार्थी आगे बढ़ने का हकदार नहीं था।विद्वत विचारण न्यायाधीश का विचार था कि वसीयत से ही, मृतक वादी के अन्य बेटे और बेटी का अस्तित्व स्पष्ट था; और यह कि निष्पादन और सत्यापन दिए विद्वान चरण में तय किए जाने वाले प्रश्न नहीं थे।

ई.

एफ.

5. मृतक वादी के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के अस्तित्व के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, विद्वत विचारण न्यायाधीश सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिस्थापन के लिए अपीलार्थी द्वारा विद्वान 2020 की आई. ए. संख्या 1 के आवेदन को खारिज करने की आवश्यकता थी और तदनुसार आदेश दिया गया था।6. अपीलार्थी ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण याचिका को इस विचार पर खारिज कर दिया कि याची यानी वर्तमान अपीलार्थी को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे

जी.

एच.

दिवंगत वादी का या तो सह-वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में विचाराधीन संपत्ति पर अपने अधिकार को लागू करने के लिए।

7. उपरोक्त आदेश पर हमारे समक्ष अपीलार्थी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस दलील के साथ सवाल उठाया गया है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय अपीलार्थी द्वारा मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिस्थापन के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने में उचित नहीं थे और किसी भी मामले में, आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए आधारों और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कारणों पर खारिज नहीं विद्वान जा सकता था।

बी.

8. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने फिर से और अनिवार्य रूप से इन प्रस्तुतियों के साथ आक्षेपित आदेशों का समर्थन करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है कि दिए गए स्तर पर और इसमें शामिल तथ्यात्मक पहलुओं को देखते हुए, मृतक वादी के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को विषय मुकदमे में उसके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में शामिल होने से नहीं छोड़ा जा सकता था।

सी.

9. मामले की समग्रता की जांच करने और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हम विवादित आदेशों को मंजूरी देने में असमर्थ हैं।

डी.

10. मामले के किसी भी अन्य पहलू को एक तरफ रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी निश्चित रूप से मृतक वादी का बेटा है।इस प्रकार, मृतक वादी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसकी पात्रता, चाहे वसीयती उत्तराधिकार के रूप में हो या गैर-वसीयती उत्तराधिकार के रूप में, से इनकार नहीं किया जा सकता है।यह स्थिति होने के कारण, मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में खुद को प्रतिस्थापित करने के लिए उनके द्वारा किए गए आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।

ई.

11. इस संबंध में भी, यह इंगित करना प्रासंगिक होगा कि यदि कोई जांच करने की आवश्यकता होती, तो विचारण न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXII के नियम 5 द्वारा परिकल्पित पाठ्यक्रम को अपना सकता था, लेकिन किसी भी मामले में, अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता था।

एफ.

12. यह स्थिति होने के कारण, हम विवादित आदेशों को अपास्त करना देते हैं और कानून के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विचार के लिए उक्त आवेदन को बहाल करते हैं।

जी.

13. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।इस बारे में कोई आदेश नहीं

लागतें।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

एच.